

भारत का राजपत्र The Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2007/चैत्र 7, 1929

No. 329]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2007/CHAITRA 7, 1929

शहरी विकास मंत्रालय

(दिल्ली प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2007

का.अ. 458(अ).—यहां नीचे उल्लिखित क्षेत्र के संबंध में दिल्ली के मास्टर प्लान में केन्द्र सरकार का जिन कुछ संशोधनों का प्रस्ताव था, उन्हें दिल्ली विकास अधिनियम, 1956 (1957 का 61) के खण्ड 44 के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 4 जनवरी, 2007 को स. का.अ. 9(अ) की सार्वजनिक सूचना द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण, में प्रकाशित किया गया जिसमें उक्त नोटिस की तारीख से तीस दिन के अंदर वक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (3) द्वारा यथा-अपेक्षित आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रित किए गए।

2. यद्यपि, प्रस्तावित संशोधन के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए तथा यद्यपि केन्द्र सरकार ने मामले को सभी पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान-2021 में संशोधन करने का निर्णय लिया है।

3. अतः, अब, उक्त अधिनियम के खण्ड 11ए के उप-खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से दिल्ली के उक्त मास्टर प्लान-2021 में एतद्वारा विमल्लिखित संशोधन करती है।

संशोधन :

“जोन डी (उप ज़ोन डी-13) में 21.15 हेक्टेयर के क्षेत्रफल के विमल्लिखित भू-उपयोग में विमल्लिखित विवरण के अनुसार परिवर्तन किया जाता है।—

क्षेत्रफल का वर्गीकरण	क्षेत्रफल से हेक्टेयर में	से	तक
उत्तर में रेलवे क्षेत्र से घिरी जगह	(i) 19.53	सरकारी कार्यालय	विहायशी
पूरुब में नैलाभी नगर, 24 मी. आर./डब्ल्यू रोड और रिंग रोड का भाग दक्षिण में, शामिल पथ (45.72 मी. आर./डब्ल्यू) पश्चिम में	(ii) 1.62	सरकारी कार्यालय	वाणिज्यिक”

[सं. के-1301/11/2006-डीडीआईडी]

प्रेम कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(DELHI DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th March, 2007

S.O. 458(E).—Whereas certain modifications which the Central Government proposed to make in the Master Plan for Delhi regarding the area mentioned hereunder were published in the Gazette of India, Extraordinary, as Public Notice vide No. S.O. 9(E) dated 4th January, 2007 by the Delhi Development Authority in accordance with the provisions of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 1957) inviting objections/suggestions as required by Sub-section (3) of Section 11A of the said Act, within thirty days from the date of the said notice.

2. Whereas no objection/suggestion was received with regard to the proposed modification and whereas the Central Government have, after carefully considering all aspects of the matter, decided to modify the Master Plan for Delhi-2021.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 11A of the said Act, the Central Government hereby makes the following modification in the said Master Plan for Delhi-2021 with effect from the date of Publication of this Notification in the Gazette of India.

Modification :

"The land use of the following area measuring 21.15 ha. in Zone D (Sub Zone D-13) is changed as per description listed below:—

Description of Area	Area in hectare	From	To
Area bounded by Railway area in the North.	(i) 19.53	Government Office	Residential
Netaji Nagar in the East, 24m R/W Road and Part of Ring Road in the South, Shanti Path (45.72m R/W) in the West	(ii) 1.62	Government Office	Commercial"

[No. K-13011/11/2006-DD(B)]

PREM KUMAR, Under Secy.